जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 01-11-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

नाबालिग का बहला फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 642 / 2020 धारा 363 / 366 / 120 (बी) भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र गोरख निवासी ग्राम बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 25.10.2020 को उक्त आरोपी अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला- फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 29.10.2020 को थाना थाना धनघटा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमे आज दिनांक 01.11.2020 को धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा दो पक्षों के बीच विवाद को कराया गया शांत पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 03565 से महिला कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने के सम्बन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 12 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया।

पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से विवाद को शांत कराकरएक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। ।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आ0 देवव्रत पाण्डेय, हो0चा0 भीम कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 60 वाहनो से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 60 वाहनो से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।